संख्या-180/2019/2615/22-2-2019-17(114)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजकिशोर पुत्र श्री गंगाप्रसाद, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजकिशोर पुत्र श्री गंगाप्रसाद जो हरनाथपुर, थाना-सोरों, जनपद-एटा वर्तमान बदायूँ का रहने वाला है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 06.08.1994 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा, बन्दूक व हैन्ड ग्रेनेड से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 16.11.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.09.1996 द्वारा मृत्युदण्ड की की सजा की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, एटा ने अपनी आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राजकिशोर (बन्दी संख्या-26592) पुत्र श्री गंगाप्रसाद, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-180/2019/2615(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा/बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in